प्रकाशनार्थ

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर–7, गोरखपुर।

विज्ञापन/पत्रांक संख्या : 6259

दिनाँक 27-03-2023

निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से फ्लैटेड फैक्ट्री (जी+3) के भवन निर्माण सहित सिविल कार्य के अन्तर्गत आन लाईन ई–निविदा के सात कार्य एवं आफ लाईन निविदा के अन्तर्गत छः कार्य तथा विद्युत कार्यो के अन्तर्गत आन लाईन ई–निविदा के चार कार्य एवं आफ लाईन निविदा के चार कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निविदायें दिनांक 28.03.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 18.04.2023 अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in /www.gidagkp.in पर उपलब्ध होगा, तथा आफ लाईन निविदा की सूचना/नियम एवं शर्ते गीडा की वेबसाईट www.gidagkp.in पर उपलब्ध होगा। निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवम् निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तो का उल्लेख है। आफ लाईन निविदा हेतु निर्धारित निविदा मूल्य गीडा के बैंक खाते में जमा कर निविदा प्रपत्र गीडा के वित्त अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आन लाईन निविदा के प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.in /www.gidagkp.in पर देखे एवं वही पर भरे जा सकेगें। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मो से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईटों को देखते रहें, क्योंकि आन लाईन ई–निविदा के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर एवं आफ लाईन के संबंध में गीडा नोटिस बोर्ड अथवा गीडा की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष–(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

ई–निविदा सूचना

कार्य का नाम : **Construction of Flatted Factory (G+3) at Sector-13, GIDA, Gorakhpur.**

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 13 में Flatted Factory निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल एवं E&M कार्यों हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–बिड्स सिस्टम द्वारा निविदा दिनॉक 28.03.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनॉक 18.04.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 13.04.2023 सांय 4:30 बजे प्री–बिड बैठक होगी। दिनॉक 18.04.2023 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रू0 लाख में) (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Flatted Factory in Sector-13, G+3, GIDA, Gorakhpur	3531.61	52.58	(निविदा मूल्य, + जी.एस.टी) रू0 2950.00	15 माह	'ए'	आन–लाईन

नोट– कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 17.04.2023 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाईट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तेः–

1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या–740901000088, **IFSC** कोड– **ICIC0007409**, ICICI बैंक, शाखा–तारामण्डल, गोरखपुर में

RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि से 120 दिन तक होगी।**

3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण–पत्र मूल रूप में **"मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर"** को सम्बोधित करते हुए "बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं **ई–प्रोक्यूरमेंट** के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

4) ऐसे निविदादाता जिसका सगा–सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होगें, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

5) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए है, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7) प्रत्येक बिडर्स को रू0 100.00 के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ–पत्र पर सभी सूचनाँए निर्धारित प्रपत्रों पर आन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसीटी (कार्य करन की निविदा–क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें।

8) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाँए/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे–**टी–4**, टी–5 की **सत्यापित छायाप्रति एवं टी–6** मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर **(निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना)** प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0 2572/23–7–2014–176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।

9) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23–7–17–176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगें और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

10) निविदा के समान प्रकृति का पिछले 07 वर्षों में निविदा मूल्य की धनराशि के 40 प्रतिशत मूल्य के तीन कार्य **अथवा** निविदा मूल्य की धनराशि के दो कार्य 60 प्रतिशत धनराशि के हो **अथवा** निविदा मूल्य की धनराशि का एक कार्य जिसका मूल्य 80 प्रतिशत धनराशि का हो। सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, के अनुसार मान्य होगा।

11) निविदादाता द्वारा विगत 5 वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित UDIN सहित बैलेन्स शीट व आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण–पत्र,

हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंश सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

13) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

14) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रू0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबंध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

16) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्वि अथवा सन्तोषजनक़ कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्वि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

17) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

18) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

19) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

20) ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा। पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

21) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।

22) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

23) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।

iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर–धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ के **शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23–7–17–176(सा.)/06 दिनांक 8–6–2017 पैरा–19** के अनुसार देय होगी।

24) उक्त कार्य हेतु सिविल ठेकेदार के पास वैध अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स या एसोसिएट ठेकेदार के पास पात्र वर्ग का अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स एवं विद्युत भाग (Electrical Component) के लिए पात्र होना अनिवार्य है, जिसका एम0ओ0यू0 सिविल ठेकेदार के साथ होना अनिवार्य है।

25) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 6255 /अभि0नि0–6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2022–23, दिनाँक: 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
2– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– कम्प्यूटर अनुभाग, गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
5– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6– सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी